राजस्थान सरकार
वन विभाग

दिनांक : 14.07.2023

क्रमांकः F. 3(17) Forest/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF)
अरण्य भवन, जयपुर

महोदय,

राज्य में प्रोटेक्टेड एरिया के लगातार बढ़ते हुए नेटवर्क एवं वन्यजीव संबंधी गतिविधियों की लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि वन्यजीव संबंधी गतिविधियों का राज्य के सभी क्षेत्रों में बेहतर तरीके से पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य के विभिन्न संभाग मुख्यालयों में से कुछ में वर्तमान में मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के पद वर्तमान में पृथक–पृथक सर्जित है, परन्तु कुछ संभाग मुख्यालयों जैसे बीकानेर, अजमेर इत्यादि में इस प्रकार के पृथक–पृथक पद सर्जित नहीं है जिसके कारण से संबंधित उप वन संरक्षक/उप वन संरक्षक (वन्यजीव) को सीधे मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के साथ पत्राचार करना पड़ता है।

PCCF (A)
Issue orders accordingly.
[signature] 17.7.23

उपरोक्त परिस्थितियों मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन संभाग मुख्यालयों मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) का पद पृथक से सर्जित नहीं है ऐसे संभाग मुख्यालयों पर पदस्थापित/कार्यरत मुख्य वन संरक्षक द्वारा ही मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के कर्तव्यों एवं दायित्वों का भी निर्वहण किया जाएगा।

कृपया इन निर्देशों की तत्काल एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित करे।

[signature]
(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ.19( )कार्मिक–राज/प्रमुवसं/1281-1420 दिनांक 18/07/23

प्रतिलिपि समस्त वन अधिकारीगणों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है।

[signature] 18/7/2023.
(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन),
राजस्थान,जयपुर।